संख्या 114 /नि०स०/सचिव (प्र०)/चि०स्वा०/ 2020

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण **देहरादून : दिनाँक : 14 फरवरी, 2020**

विषय – कोरोना वायरस COVID-19 रोकथाम हेतु ग्राम स्तरीय समिति द्वारा कार्यवाही विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है।

आप सभी के निरंतर प्रयासों से उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान तक कोरोना वायरस संक्रमण की कोई भी असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जो कि सराहनीय है। किन्तु कोरोना वायरस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरन्तर कार्यवाही करते रहना आवश्यक है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु आमजनमानस में जन जागरूकता किया जाना अति आवश्यक है। अतः आप अपने स्तर से प्रत्येक ग्राम स्तर पर पुलिसकर्मी, राजस्वकर्मी, ग्राम पंचायत सदस्य, आंगनवाडी कार्यकत्री, आशा कार्यकत्री व ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों इत्यादि के द्वारा एक ग्राम स्तर समिति (village level committee) के रूप मे कोरोना वायरस संक्रमण की पहचान व बचाव हेतु जन जागरूकता किये जाने हेतु कार्यवाही करें। यदि ग्राम स्तर समिति द्वारा किसी URTI (Upper Respiratory Tract Infection) से संक्रमित व्यक्ति की पहचान की जाती है, तो तुरन्त निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रों को सूचित किया जाये।

इन ग्राम स्तरीय समितियों से नियमित रूप से सम्पर्क रखा जाये व किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना के लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी/कन्ट्रोल रूम का दूरभाष न0 प्रदान किया जाये। इन समितियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की दैनिक समीक्षा की जाये व राज्य को भी इसकी सूचना निरन्तर प्रदान की जाये।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 114 /नि०स० /सचिव (प्र०) /चि०स्वा० /2020, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल /कुमाऊ मण्डल।
5. प्रभारी अधिकारी आई०डी०एस०पी०।

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)